न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

मि0न0 – 113/2024

अनवान : –

1. विजय सिंह पुत्र इन्द्रकुमार जाति जाट निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. इन्द्रकुमार पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।
2. विक्रम सिंह पुत्र इन्द्रकुमार जाति जाट निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।
3. दीपू कुमारी पुत्री इन्द्रकुमार जाति जाट निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।
4. मूर्तिदेवी पत्नी इन्द्रकुमार जाति जाट निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।
5. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा झांसल जरिऐ प्रबन्धक।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री राजेश बैनीवाल **वादी**
श्री अर्जुन बैनीवाल प्रतिवादी

निर्णय

दिनांकः

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 17/269 के मु0न0 90 के किला न0 4 ता 8, 13 ता 15, मु0न0 91 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13 की कुल 4.3010है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 6 की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है तथा प्रतिवादीगण के साथ–साथ वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमति प्रकट की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.09.03 14:36:34 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 17/269 के मु0न0 90 के किला न0 4 ता 8, 13 ता 15, मु0न0 91 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13 की कुल 4.3010है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों में जमाबंदी पैतृक से उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है। जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। पत्रावली में प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना अंकित है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 के नाम वाद भूमि के अलावा रौही मौजा चक 3 सीएचएन के खाता सं0 162/39 व रोही मौजा चक 5 एमआरएन के खाता सं0 45/65 में अन्य कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त वाद भूमि में प्रतिवादीगण सं0 1 एवं 3-4 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 17/269 के मु0न0 90 के किला न0 4 ता 8, 13 ता 15, मु0न0 91 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13 की कुल 4.3010है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 इन्द्रकुमार का नाम कलमजन कर वादी विजय सिंह व प्रतिवादी सं0 2 विक्रम सिंह को बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। जमाबंदी में दर्ज गै0मु0 खाला-रास्ता एवं किस्म को यथावत् रखा जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23-08-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23-08-24

(ओ.पी. चन्देलिया) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.09.03 14:36:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस

मि0न0 – 113/2024

अनवान : –

1. विजय सिंह पुत्र इन्द्रकुमार जाति जाट निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. इन्द्रकुमार पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।
2. विक्रम सिंह पुत्र इन्द्रकुमार जाति जाट निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।
3. दीपू कुमारी पुत्री इन्द्रकुमार जाति जाट निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।
4. मूर्तिदेवी पत्नी इन्द्रकुमार जाति जाट निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।
5. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा झांसल जरिऐ प्रबन्धक।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ ओ.पी.चन्देलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जुन बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 17/269 के मु0न0 90 के किला न0 4 ता 8, 13 ता 15, मु0न0 91 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13 की कुल 4.3010है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 इन्द्रकुमार का [illegible] कर वादी विजय सिंह व प्रतिवादी सं0 2 विक्रम सिंह को बहिस्सा बराबर अनुसार [illegible] काश्तकार घोषित किया जाता है। जमाबंदी में दर्ज गै0मु0 खाला–रास्ता एवं किस्म को यथावत [illegible] जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि [illegible] रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल [illegible] जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23-08-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

23-08-24

(ओ.पी.चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.09.03 14:36:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner